छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

/ /अधिसूचना/ /

अटल नगर, दिनांक 01 / 12 / 2020

क्रमांक / 68 / 04 / योजना / बीओसी / 2020 / 111 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी अधिसूचना क्रमांक 10 दिनांक 27.11.2012 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजना **"गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माणी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना"** को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

01/12/20
(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक / 68 / 04 / योजना / बीओसी / 2020 / 2817-2832 अटल नगर, दिनांक 01.12.2020
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
3. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
5. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर...............2

8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
10. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
11. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

01/12/20
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 27/11/12

क्रमांक 10 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियम) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माणी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 2010" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा जो बीपीएल कार्डधारी नहीं होंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् प्रतिवर्ष रूपये 30,000/– चिकित्सा सहायता, परिवार के मुखिया, उसकी पत्नि एवं 03 संतान को प्रदाय करने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रदाय किया जावेगा।

- उल्लेखित चिकित्सा लाभ से तात्पर्य प्राथमिक उपचार छोड़कर समस्त उपचार होंगे।

(iii) एपीएल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर होने वाला व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान दिनांक 17.09.2010 से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(ii) गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) का कार्डधारी न हो।

(स) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/उप संचालक एवं सहायक उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(i) प्रदेश में बीपीएल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है। अतः एपीएल निर्माणी श्रमिकों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग ही होगा।

(ii) बीपीएल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् जिस बीमा कंपनी को प्रति व्यक्ति के मान से अनुबंधित किया जावेगा वही एपीएल निर्माणी श्रमिकों के लिए भी मान्य होगा।

(य) अन्य विवरण :-

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव / अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 29.11.2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

(छ०ग० शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृष्ठांकन क्र० / / / 5099-5193 रायपुर दिनांक 27/11/12

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
5. अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
6. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ०ग०)
7. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ०ग०)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल